

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0डी0-91/725- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (५) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शों में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव नौरंगपुर में प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

अनुबन्ध

जिला गुड़गांव के गांव नौरंगपुर में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूचीकी ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 134/90 दिनांक 31 मार्च, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

अनुसूची

उत्तर : बिन्दु 'ए' सेलकर जो गांव नखरौला , नौरंगपुर और मनेसर की सीमा रेखा है, उसके बाद गांव नौरंगपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ साथ उत्तर की ओर , इसके बाद आयुक्त संख्या 23,22,21 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर और उसके बाद आयत संख्या 14 का पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर और उसके बाद आयत संख्या 14 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर, बिन्दु 'बी' तक जहां यह गांव की सीमा से मिलता है।

पूर्व: उसके बाद गांव नौरंगपुर की उत्तरी पूर्वी राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ओर बिन्दु "सी" तक, जो गांव नौरंगपुर की आयत संख्या 53का उत्तरी-पूर्वी कोना है, उसके बाद आयत संख्या 53,73,74 और 88 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ- दक्षिण की ओर बिन्दु "डी" तक, जा आयत संख्या 88 का दक्षिण-पूर्वी कोना है।

दक्षिण: उसके बाद गांव नौरंगपुर की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "ई" तक, जो कि गांव नौरंगपुर, मानेसर और बार गुजर की सीमा रेखा है।

पश्चिम: उसके बाद गांव नौरंगपुर की उत्तर-पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम की ओर बिन्दु "ए" तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

तरसेम लाल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

219

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 28, 1991 (MAGHA 8, 1912 SAKA)
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 22nd January, 1991

No. JD-91/725- In exercise of the powers conferred by sub-section (I)(b) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him, the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at village Naurangpur, district, Gurgaon as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

ANNEXURE

Schedule of boundaries for the controlled area around Primary School at village Naurangpur, district, Gurgaon to be read with the Drg. No. DTP(G) 134/90, dated 31st March, 1990.

SCHEDULE

North : Starting from 'A' which is the trijunction of village Nakhraula, Naurangpur and Manesar, Thence towards north along the western revenue boundary of village Naurangpur, thence towards east along the northern boundaries of rectangle No. 23,22,21 and thence towards north along the western boundary of rectangle No. 14 and thence towards east along the northern boundary of rectangle No. 14 up to point 'B' where it meets village boundary.

East : Thence towards south-east along the north eastern revenue boundary of village Nauragpur upto point 'C' which is the north-eastern corner of rect. No. 53 of village Nauragpur thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 53, 73, 74 and 88 upto point 'D' which is south- eastern corner of Rect. No. 88.

South: Thence towards west along the southern revenue boundary of village Naurangpur upto point 'E' which is the trijunction of villages Naurangpur, Manesar and Bargujar.

West: Thence towards North-west along the north-western revenue boundary of village Naurangpur upto point 'A' i.e. the point of start.

TARSEM LAL
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.